तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज श्रीमती कमला बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) **सू.अ.अ. अपील संख्या 11/2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.02.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्रीमती कमला पत्नी कानाराम उर्फ मदनराम जाट निवासी ख.नं. 109, इन्द्रप्रस्थ नगर, प्लॉट नं.64, नांदड़ी रोड़, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.10.2019 में उसके द्वारा (1) आवेदनकर्ता द्वारा वर्ष 2011 में राजस्व ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 196, 358, 468, 660, 760, 761 कुल रकबा 60.04 बीघा के संबंध में दावा बाबत् खातेदारी की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा 11/2011 का पेश किया गया जिसमें दिनांक 13.10.2014 से आज दिन तक उपरोक्त अनुवान की पत्रावली न तो तारीख पेशी पर आ रही है न ही तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा पालना की गई हैं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	